पंचायत समिति पच्छाद, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024

भाग—एक

1. **प्रस्तावना (क):—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति पच्छाद विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत समिति पच्छाद में निम्नलिखित प्रधान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव कार्यरत थे :—

प्रधान :—

1	श्री सुरेन्द्र नेहरू	01.04.2023 से लगातार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी :—

1	श्री रमेश कुमार शर्मा	01.04.2023 से 31.03.2024

सचिव :—

1.	श्री राजेश कुमार शर्मा, पंचायत निरीक्षक	01.04.2023 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :—

पंचायत समिति पच्छाद के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र0सं0	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	**6**	दुकान किराया राजस्व वसूली हेतु शेष	**0.54**
2	**7**	अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष	**47.66**

3	**8**	गलत वेतन निर्धारण करके किया गया अनियमित अधिक भुगतान	**4.13**

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :—

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई । जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई, उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त निर्णीत/ अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :—

1. अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2017 से 31.03.2022

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	विवरण
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹18000 की प्राप्ति की पुष्टि मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के पृष्ठ संख्या: 69 पर करने के उपरान्त
2	4	अनिर्णीत	
3	5	अनिर्णीत	
4	6	निर्णीत	स्वः स्त्रोत निधि हेतु अलग से बैंक खाता खोले जाने उपरान्त समाप्त
5	7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/23 से 3/24 हेतु पुनः प्रारूपित किए जाने उपरान्त समाप्त
6	8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/23 से 3/24 हेतु पुनः प्रारूपित किए जाने उपरान्त समाप्त
7	9	निर्णीत	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने उपरान्त समाप्त

8	10	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण अवधि 4/22 से 3/24 हेतु पुनः प्रारूपित किए जाने उपरान्त समाप्त
9	11	निर्णीत	सन्तोषजनक जवाब की प्रस्तुति उपरान्त समाप्त
10	12	आंशिक निर्णीत	श्रीमती सुनीता देवी से ₹218 की वसूली करने के उपरान्त श्रीमती प्रोमिला देवी से ₹1219 की राशि वसूली हेतु शेष है।
11	13(क)	निर्णीत	4/17 से 3/19 तक आहरित किए गए वेतन की खाता बही से पुष्टि होने उपरान्त निर्णीत
12	13(ख)	अनिर्णीत	
13	13(ग)	अनिर्णीत	
14	14	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण अवधि से मानदेय रजिस्टर बनाए जाने उपरान्त
15	15	अनिर्णीत	
16	16	निर्णीत	सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति उपरान्त निर्णीत
17	17	निर्णीत	वर्गीकृत सार/ आय व्यय विवरणी बनाए जाने उपरान्त समाप्त
18	18	अनिर्णीत	

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

पंचायत समिति पच्छाद, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्रीमती ममता रावल सहायक नियंत्रक द्वारा दिनांक 16.12.2024 से 19.12.2024 तक पंचायत समिति पच्छाद

के कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए कमशः माह 10/2023 व 04/2023 का चयन किया गया ।

अस्वीकरणः— इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क** :—

पंचायत समिति पच्छाद, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर के अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/—** बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 18.12.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति** :—

पंचायत समिति पच्छाद, विकास खण्ड पच्छाद द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट —1 से 6** पर भी दिया गया हैः—

(1) स्वः स्त्रोत :— अंकेक्षण प्रतिववेदन अवधि 4/17 से 3/22 के पैरा संख्या 6 की अनुपालना में पंचायत समिति पच्छाद द्वारा स्वः स्त्रोत हेतु दिनांक 04.04.23 को पृथक रूप से हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पच्छाद में बचत खाता संख्या 89071100000086 खोला गया है । इससे पूर्व स्वः स्त्रोत निधि व समिति अनुदान निधि का हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक में संयुक्त खाता संख्याः 56610104118 था जिसमें से स्वः स्त्रोत के उक्त पृथक खाते में राशि **₹**1844409 हस्तांतरित की गईः—

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियों (₹)	ब्याज (₹)	कुल (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2023–24	0	1946859	110534	2057393	151440	1905953
दिनांक 31.03.24 को रोकड बही अनुसार शेष राशि ....(1)						**₹1905953**
जमा किराया राशि जो कि 28.2.24 को गलत दर्ज की गई तथा उसकी समायोजन प्रविष्टी दिनांक 6.4.24 को रोकड बही में कर दी गई थी . ...(2)						₹2500
दिनांक 31.03.24 को बैंक बचत खाता संख्या हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पच्छाद 89071100000086 अनुसार शेष, परिशिष्ट 6 ....(4)						₹1908453

(2) समिति अनुदान :–

वित्तीय वर्ष 2023–24						
समिति निधि	**10157157.89**	**27060228**	**117105**	**37334490.89**	**35067956**	**2266534**
दिनांक 31.03.24 को रोकड बही अनुसार शेष राशि ....(1)						**₹2266534.89**
घटावः– गलत प्रविष्टी दिनांक 28.2.24 जिसका समायोजन रोकड बही में दिनांक 5.4.24 को कर दिया गया है । ....(2)						(–)**₹2500**
ज्मा:– जारी किया गया चैक संख्या 349650 दिनांक 27.3.24 जो कि बैंक द्वारा 2.4.24 को डैबिट किया गया						**+₹3122**
ज्मा:– अस्पश्ट कैडिट जो कि बैंक द्वारा दिनांक 14.6.22 को किया गया है						**+₹456**
दिनांक 31.03.24 को बैंक बचत खाता संख्या हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक 56610104118 अनुसार शेष, परिशिष्ट – 6 ....(4)						₹2267612.89

(3) 15वां वित्तायोग अनुदान :–

वित्तीय वर्ष 2023–24						
15वां वित्त	**3790712**	**749687**	**38456**	**4578855**	**3240746**	**1338109**
दिनांक 31.03.24 को रोकड बही अनुसार शेष राशि ....(1)						**₹1338109**
दिनांक 31.03.24 को बैंक बचत खाता संख्या हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक 89071100000035 अनुसार शेष, परिशिष्ट – 6 ....(4)						**₹1338109**

(4) पंचायत समिति भाग (SFCBDC) :–

वित्तीय वर्ष 2023–24						
SFCBDC	902084	14500	36346	952930	189239	763691
दिनांक 31.03.24 को रोकड बही अनुसार शेष राशि ....(1)						₹763691
दिनांक 31.03.24 को बैंक बचत खाता संख्या हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक 56610112776 अनुसार शेष , परिशिष्ट – 6 ....(4)						**₹763691**

(5) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान (RGSA) :–

वित्तीय वर्ष 2023–24						
RGSA	386700	522100	25255	934055	536870	397185
दिनांक 31.03.24 को रोकड बही अनुसार शेष राशि ....(1)						₹397185
दिनांक 31.03.24 को बैंक बचत खाता संख्या हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक 56610116216 अनुसार शेष , **परिशिष्ट –6** ....(4)						**₹397185**

5 समिति की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार सावधि जमा में निवेश न करना–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा स्वः स्त्रोत निधि में उपलब्ध अतिरिक्त राशि को प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके । परन्तु पंचायत समिति द्वारा इस नियम की अनुपालना नही की गई थी क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि निवेश नही की गई थी जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत समिति के पास प्रतिवर्ष स्वः स्त्रोत निधि में समुचित राशि उपलब्ध थी । पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/17 से 3/22 के पैरा संख्या 10 द्वारा भी उक्त नियम की अनुपालना बारे मामला संस्था के ध्यान में लाया गया था परन्तु वर्तमान तक कोई भी अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत निधि से पंचायत समिति की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अल्प व दीर्घकालिक सावधि जमा में राशि को

निवेशित किया जाए ताकि पंचायत समिति को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

6 दुकान किराया राजस्व ₹0.54 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01 दिनांक 03.12.2024 की अनुपालना में पंचायत समिति पच्छाद द्वारा प्रस्तुत सूचना **परिशिष्ट–7** का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.24 को दुकान किराया राजस्व **₹53650** वसूली हेतु शेष था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति पच्छाद ने अंकेक्षण के साथ हुई चर्चा में आश्वस्त किया कि राशि की वसूली हेतु नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी । अतः उक्त राशि की शीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान राशि ₹47.66 लाख उपयोग हेतु शेष

पंचायत समिति पंच्छाद, विकास खण्ड पच्छाद जिला सिरमौर में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.24 को **परिशिष्ट–2 से 5** पर प्रस्तुत सूचना व निम्न तालिका अनुसर ₹4765519 उपयोग हेतु शेष थी जिसे फण्डिग एजेन्सी के दिशा–निर्देशों अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित हैं। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उसके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अनुपयोग अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान इसे निर्धारित लक्ष्यों हेतु शीघ्र व्यय करना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**मद का नाम**	**दिनांक 31.03.24 को शेष राशि**	
1	**समिति अनुदान**	**₹2266534**	**परिशिष्ट –2**
2	15वां वित आयोग	**₹1338109**	**परिशिष्ट –3**
3	**पंचायत समिति भाग (SFCBDC)**	**₹763691**	**परिशिष्ट –4**
4	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान (RGSA)**	₹397185	**परिशिष्ट –5**
	कुल योग	₹4765519	

8 गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹4.28 लाख का सम्भावित अनियमित/अधिक भुगतान

हि0 प्र0 वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या Fin (PR)B(7)-1/2021 दिनांक 03.01.2022 द्वारा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से संशोधित वेतनमान के लाभ प्रदान किए गए हैं । जबकि पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HB(15) 01/2022-Pay Revision-60236-62336 dated 23.09.2022 अनुसार जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों, जो वेतनमान 5910–20200+1900 ग्रेड पे में नियमित रूप से कार्यरत थे, का वेतन संशोधित वेतनमान/ मैट्रिक्स के लैवल 3 (20200–64000) में तत्काल प्रभाव से दिनांक 23.09.2022 से निर्धारित किया जाना अपेक्षित है ।

पंचायत समिति पच्छाद की स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत जिला परिषद कैडर के पंचायत सचिवों की सेवा पंजिकाओं की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि समिति द्वारा निम्न पंचायत सचिवों का संशोधित वेतनमान उक्त अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 के अनुसार न करके **परिशिष्ट –8 व 9** में दिए विवरण अनुसार किया गया। परिणामस्वरूप कुल ₹427905 (₹410350 + 17555) का अनियमित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है ।

8.1 श्री नरवीर सिहं पंचायत सचिव जो कि दिनांक 7.12.2020 को नियमित रूप से नियुक्त हुए थे, की सेवा पंजिका की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कर्मचारी का संशोधित वेतनमान दिनांक 23.09.22 को निर्धारित न करके कर्मचारी द्वारा 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने की तिथि 07.12.2022 को निर्धारित किया गया था जो कि पंचायती राज विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 के अनुसार देय प्रतीत नही होता है । परिणामस्वरूप पंचायात सचिव श्री नरवीर सिहं का गलत वेतन निर्धारण करने के कारण **परिशिष्ट–8(i)(ii) व (iii)** के अनुसार दिनांक 07.12.2022 से 30.11.24 तक ₹410350 का अनियमित/ अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है । अनियमित वेतन निर्धारण बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 16.12.2024 जारी करके यह प्रकरण पंचायत समिति के ध्यान में लाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त न होने के कारण अनियमितता का निपटारा अंकेक्षण के दौरान नही किया जा सका । अतः उक्त अनियमित /अधिक भुगतान की विस्तृत जांच पडताल उपरान्त इसे तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए ।

8.2 श्रीमती सुनीता देवी, पंचायत सचिव जो कि दिनांक 14.02.2023 को नियमित रूप से नियुक्त हुई थी, की सेवा पंजिका की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कर्मचारी को नियुक्ति की तिथि दिनांक 14.02.23 को 2.59 का विकल्प लागू करके (₹7810X 2.59= ₹20227.90) लैवल 3 के सैल 2 अनुसार वेतन ₹20800 निर्धारित किया गया था परन्तु हि0प्र0 पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HB(15)01/2022-Pay

Revision-1622-33 के अनुसार संशोधित वेतन निर्धारण हेतु 2.59, 2.25 या 15% के फैक्टर का विकल्प दिनांक 23.09.2022 के बाद नियुक्त जिला कैडर के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है।

परिणामस्वरूप गलत वेतन निर्धारण के कारण **परिशिष्ट–9 (i) व 9 (ii)** अनुसार अवधि 14.02.2023 से 28.02.2023 तक ₹17555 का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अतः अधिक भुगतान को विस्तृत जांच पड़ताल उपरान्त तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

गलत वेतन निर्धारण के फलस्वरूप कर्मचारी को दिनांक 14.02.2023 से 30.11.2024 तक संलग्न **परिशिष्ट –9(i) व 9(ii)** पर दिए विवरण अनुसार ₹17555 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अतः उक्त अनियमित /अधिक भुगतान को विस्तृत जांच पडताल उपरान्त तथ्यों सहित इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए ।

9 लघु आपत्ति विवरणिका :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

10 निष्कर्ष :–लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

27 MAR 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–2620046

1824-1827 ह0/हि0

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (10) 69/2022 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी सिरमौर जिला सिरमौर हि0प्र0।

पंजीकृत

4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–2620046

ह0/हि0

परिशिष्ट -1 पैरा 4(1) में सम्बन्धित (12)

Financial Position of Own Fund in R/O Panchayat samiti Pachhad Development Block Pachhad Distt. Sirmour HP for the Year 2023-24

O.B.	Receipt	Interest	Total	Payment	Closing Blance
0	1946859	110534	2057393	151440	1905953
Closing Blance as on 31-03-2024 as per Cash Book					1905953
Add rent of Pritam singh on dated 28-02-2024 Voucher No OWN/2023-24/R/92 which is reactified vide bill no 17 dated 6-04-2024 in cash book					2500
Closing Blance as on 31-03-2024 as per bank					1908453

Secretary
Panchayat Samiti Pachhad
District Sirmour (H.P.)

परिशिष्ट – 2

पैरा 4(2) से सम्बन्धित

(13)

Financial Position of Samiti Grant in R/O Panchayat Samiti Pachhad Development Block Pachhad Distt. Sirmour HP for the Year 2023-24					
O.B.	Receipt	Interest	Total	Payment	Closing Blance
10157157.89	27060228	117105	37334490.89	35067956	2266534.89
Closing Blance as on 31-03-2024 as per Cash Book					2266534.89
Less Wroung Entry in Cashbook rent of Pritam singh on dated 28-02-2024 Voucher No OWN/2023-24/R/92 whome in reactified on dated 05-04-2024 Bill no 16					2500
Add Rs 3122 vide Cheque No 349650 dated 27-03-2024 Issued to AE HPSEB but not Debit by bank dated 02-04-2024				A	3122
Add Amount of Rs 456 cradited by bank Unknown dated				B	456
Closing Blance as on 31-03-2024 as per Bank Pass Book					2267612.89

Secretary
Panchayat Samiti Pachhad
District Sirmour (H.P.)

परिशिष्ट - 3

पैरा 4(3) के सन्दर्भित

(14)

Financial Position of 15th Finance Commission in R/O Panchayat Samiti Pachhad Development Block Pachhad Distt. Sirmour HP for the Year 2023-24

O.B.	Receipt	Interest	Total	Payment	Closing Blance
3790712	749687	38456	4578855	3240746	1338109
Closing Blance as on 31-03-2024 as per Cash Book					1338109
Closing Blance as on 31-03-2024 as per Bank					1338109

Secretary
Panchayat Samiti Pachhad
District Sirmour (H.P.)

परिशिष्ट -4 (15)

पैरा 5(5) से सम्बन्धित

Financial Position of SFC BDC in R/O Panchayat Samiti Pachhas Development Block Pachhad Distt. Sirmour HP for the Year 2023-24

O.B.	Receipt	Interest	Total	Payment	Closing Blance
902084	14500	36346	952930	189239	763691
Closing Blance as on 31-03-2024 as per Cash Book					763691
Closing Blance as on 31-03-2024 as per Bank					763691

Secretary
Panchayat Samiti Pachhad
Distt. Sirmaur (H.P.)

परिशिष्ट – 5
पैरा 4(5) में सम्मिलित

(16)

Financial Position of RGSA in R/O Panchayat Samiti Pachhad Development Block Pachhad Distt. Sirmour HP for the Year 2023-24

O.B.	Receipt	Interest	Total	Payment	Closing Blance
386700	522100	25255	934055	536870	397185
Closing Blance as on 31-03-2024 as per Cash Book					397185
Closing Blance as on 31-03-2024 as per Pass book Book					397185

Secretary
Panchayat Samiti Pachhad
District Sirmour (H.P.)

(17)

परिशिष्ट 6

पैरा 4(1) से 4(5) से सम्बन्धित

Information Regarding Cash Book of Panchayat Samiti Head in R/O Chief Executive Officer Panchayat Samiti Pachhad

Sr No.	Name Of Cash Book	Accountant No	Vol. Details	Blance as on 31-03-2024
1	Panchayat Samiti	56610104118	Vol. 1st	2267612.89
	Panchayat Samiti Own Fund	89071100000086	Vol-1	1908453
3	SFC BDC Share	56610112773	Vol. 1st	763691
4	RGSA	56610116216	Vol. 1st	397185
5	Fifteen F.C. BDC Share	89071100000035	Vol. 1st	1338109

Secretary
Panchayat Samiti Pachhad
District Sirmour (H.P.)

15

परिशिष्ट -7

(18)

पैरा 6 के सम्बन्धित

Information Regarding Rent Recivable as on 31-03-2024 in R/O Panchayat Samiti Pachhad,Distt.-Sirmour HP

Sr. No.	Shop No	Owner Name	Rent Not paid period	Total Month	Rate	Amount
1	3	Sh. Atma Ram	9/2020 to 31/03/2023	31	1150	35650
			04/2023 to 31-03-2024	12	1500	18000
		Total Rs				53650
				Cheif Executive Officer,		
				Panchayat Samiti Pachhad		

Secretary
Panchayat Samiti Pachhad
Distt. Sirmour (H.P.)

परिशिष्ट– 8(i) पैरा 8.1 में सन्दर्भित

कर्मचारी का नाम – श्री नरवीर सिहं, नियुक्ति की तिथि– 07.12.2020			
वेतन जो निर्धारित किया गया		**वेतन जो निर्धारित होना था**	
संशोधित वेतनमान लागू किए जाने की तिथि		23.09.2022	
कर्मचारी द्वारा दिया गया विकल्प		15% from the date of higher scale	
संशोधित वेतनमान लागू होने की तिथि से पूर्व दिनांक 22.09.2022 को वेतन		₹6150+₹1900 =₹8050	
दिनांक 1.12.22 को वार्षिक वेतन बृद्धि उपरान्त दिया गया वेतन	₹6400+₹1900 =₹8300	......	....
दिनांक 7.12.22 को 2 वर्ष की सेवा उपरान्त दिया गया वेतन	₹10300+₹3200 =₹13500	------	------
Revised pay figure so arrived after rounding off as on 07-12-22	₹13500+₹15255(DA 113%)+ ₹4313.25(15% of Basic+DA)= ₹33068	Revised pay figure so arrived after rounding off as on 22-09-22	₹8050+₹9097(DA 113%)+ ₹2572(15% of Basic+DA)= ₹19719
Revised pay in pay Matrix fixed in cell 18 level 3 as on 07.12.2022	₹33300	Revised pay in pay Matrix fixed in cell 1 level 3 as on 23.09.2022	₹20200
------	....	दिनांक 1.12.22 को वार्षिक वेतन बृद्धि उपरान्त देय वेतन	₹20800
दिनांक 1.12.23 को वार्षिक वेतन बृद्धि उपरान्त दिया गया वेतन	₹34300	दिनांक 1.12.23 को वार्षिक वेतन बृद्धि उपरान्त देय वेतन	₹21400
......	....	दिनांक 1.12.24 को वार्षिक वेतन बृद्धि उपरान्त देय वेतन	₹22000

Mamta Rawal
Assistant Controler (Audit)
H. P. State Audit Department
Shimla-9

परिशिष्ट 8 (ii) पैरा 8.1 में सम्बन्धित

Office of the Chief Executive Officer (Panchayat Samiti),
Cum-Block Development Officer, Pachhad, Distt Sirmour, H.P.

OFFICE ORDER

Consequent upon completion of 2 years of regular service & in accordance with the Principa Secretary (Panchayati Raj) Notification No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-60236-62336 Dated 23.09.2022 & Director-cum-Special Secretary(PR) Letter No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-1622-33 Dated 07.03.2024 pay c the following official is fixed in revised higher scale as under :-

					Remarks
1.	Name & Designation	Narvir Singh, P. Secy (ZP)			
2.	Date of Joining (Regular)	07-12-2020			
3.	Pay Band as per Pay Revision 2009	5910-20200+1900			
4.	Pay Band after Re-Revision 2012	10300-34800+3200			
5.	Level as per Revised Pay Rules	Level-3 (20200-64000)			
6.	Multiplication factor as per option exercised	15% (from date of higher scale)			
7.	Month of Annual Increment	July			
8.		Pay	Grade Pay	Total Basic	
9.	Pay as on 06.12.2022	6400	1900	8300	
10.	Revised Pay as on 07.12..2022 after completion of 2 years of regular service as on 06.12.2022	10300	3200	13500	
11.	Pay as on 07.12.2022	10300	3200	13500	
12.	13500+15255 (DA 113%)+4313.25 (15% of Basic + DA) = 33068.25 rounded off to Rs. 33068				
13.	Revised pay as on 07.12.2022 is fixed at level corresponding to Rs.1900 Grade Pay in the Pay Matrix i.e. Level-3 (Cell-18) (either equal to or next higher to Rs. 33068 in Level-3) as on 07.12.2022: Rs. 33300			33300	
14.	Pay as on 01.12.2023 after granting A.I. Level-3 (Cell-19)			34300	
15.	Date of Next Increment	01.12.2024			

The above pay fixation is subject to verification by audit. Any over payment detected later on shall be recovered from the pay of official in lump-sum.

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Pachhad, Distt Sirmour, H.P.

Endst No.DBP/Estt./PF/ 1307 - 11 Dated: 03, June, 2024

Copy to:-

1. The Director, Panchayati Raj Department, H.P. Shimla-9.
2. The Accountant General (Audit) HP Shimla-3.
3. The Chief Executive Officer (ZP-cum-ADC, Sirmour at Nahan.
4. The Secretary (ZP –cum-DPO, Sirmour at Nahan.
5. Superintendent Gr.-II, Accountant Panchayat Samiti & Bill Clerk for necessary action.

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Pachhad, Distt Sirmour. H.P.

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 8(iii) पैरा 8.1 में सन्दर्भित

Due Drawn Statement of Sh. Narvir Singh Panchayat Secretary										
	Due			Drawn						
Period	Basic	DA	Total	Basic	DA	Total	DA%	Difference	Days/Month	Amount
07.12.22 to 31.12.22	20800	7072	27872	33300	11322	44622	34	-16750	25 days	-13508
01.01.23 to 30.11.23	20800	7072	27872	33300	11322	44622	34	-16750	11M	-184250
01.12.23 to 31.03.24	21400	7276	28676	34300	11662	45962	34	-17286	4M	-69144
01.04.24 to 30.09.24	21400	8132	29532	34300	13034	47334	38	-17802	6M	-106812
01.10.24 to 30.11.24	21400	8988	30388	34300	14406	48706	42	-18318	2M	-36636
										-410350

नोट – पंचायत समिति द्वारा कर्मचारी के पक्ष में आहरित एरियर राशि की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नही की जा सकी क्योंकि वेतन रजिस्टर में कर्मचारी को दिए गए एरियर का इन्द्राज नही किया गया था ।

Mamta Rawal
Assistant Controler (Audit)
H. P. State Audit Department
Shimla-9

19

Form of Option
Option(s) once exercised ...
(O

Form of Option
Option(s) once exercised shall be final
(Option No.1)
(See rule 6)

I Narvis Singh designation Panchayat Secretary hereby opt for pay fixation by factor of 113% DA + 15% increase in the revised pay structure with effect from 01-01-2016 under the Himachal Pradesh civil service (Revised Pay rules 2022.

Signature
Name Narvis Singh

(Option No.2
To be exercised by those whose date of increment falls on 1st January, 2016) (See Note 2, below Rule 7 (II) (b) (iii)]
I — designation — hereby opt to draw my increment falling on 01.01.2016:-
(i) In the existing pay scale :or
(ii) In the revised pay structure.

Signature —
Name

(Option No.3)
(May be exercised by those who promoted between 01.01.2016 to 03.01.2022)
(See Rule 8 (V)]
I — promoted to the post of — on — hereby opt to fix my pay on promotion as under-
hereby opt to fix my pay on the higher post from the date of promoted: or
(i) That my pay may be fixed on the higher post from the date of promoted: or
(ii) From the date of next increment in the lower post w.e.f. —

UNDERTAKING

I, hereby undertake that in the event of my pay having been fixed in a manner contrary to the provisions contained in Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022, as detected subsequently, any excess payment(s) made to me shall be refunded by me to the Government either in lump sum or by adjustment against future payments due to me.

Date: 15/03/2024
Place: Solahan

Signature
Name Narvis Singh
Designation Panchayat Secretary
Salary Code
PMIS Code

9817190393

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 9 (i) पैरा 8.2 में सम्बन्धित।

Office of the Chief Executive Officer (Panchayat Samiti),
Cum-Block Development Officer, Pachhad, Distt Sirmour, H.P.

OFFICE ORDER

Consequent upon the revision of pay scale of Zila Parishad Employees vide Principal Secretary (Panchayati Raj) Notification No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-60236-62336 Dated 23.09.2022 & Director-cum-Special Secretary(PR) Letter No.PCH-HB(15)01/2022-Pay Revision-1622-33 Dated 07.03.2024 the pay of the following official is fixed in revised pay as under :-

1.	Name & Designation	Sunita Devi, P. Secy (ZP)			Remarks
2.	Date of Joining (Regular)	14-02-2023			
3.	Pay Band as per Pay Revision 2009	5910-20200+1900			
4.	Pay Band after Re-Revision 2012	N/A			
5.	Level as per Revised Pay Rules	Level-3 (20200-64000)			
6.	Multiplication factor as per option exercised	2.59			
7.	Month of Annual Increment	April			
8.		Pay	Grade Pay	Total Basic	
9.	Pay as on 14-02-2023	5910	1900	7810	
10.	8300 x 2.59 = 20227.90 rounded off to Rs. 20228				
11.	Revised pay as on 14.02.2023 is fixed at level corresponding to Rs.1900 Grade Pay in the Pay Matrix i.e. Level-3 (Cell-2) (either equal to or next higher to Rs. 20228 in Level-3) as on 14.02.2023: Rs. 20800		202	20800	
12.	Pay as on 01.02.2024 after granting A.I. Level-3 (Cell-3)			21400	
13.	Date of Next Increment	01.02.2025			

The above pay fixation is subject to verification by audit. Any over payment detected later on shall be recovered from the pay of official in lump-sum.

May be audited pl.

19-12-24

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Pachhad, Distt Sirmour, H.P.

D: (A) HPSID

Endst No.DBP/Estt./PF/ 1363-67 Dated: 28, March, 2024

Copy to:-

1. The Director, Panchayati Raj Department, H.P. Shimla-9.
2. The Accountant General (Audit) HP Shimla-3.
3. The Chief Executive Officer (ZP-cum-ADC, Sirmour at Nahan.
4. The Secretary (ZP –cum-DPO, Sirmour at Nahan.
5. Superintendent Gr.-II, Accountant Panchayat Samiti & Bill Clerk for necessary action.

Chief Executive Officer (PS)
Cum-Block Development Officer,
Dev. Block Pachhad, Distt Sirmour, H.P.

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट 9 (ii) पैरा 8.2 में सम्बन्धित

Name of Employee- Smt. Sunita Devi. Panchayat Secretary (Date of appointment = 14.02.2023)											
Pay fixed By Panchayat Samiti				Pay Fixation as per Audit							
Date		Pay		Date		Pay					
14.02.2023		20800		14.02.2023		20200					
01.02.2024		21400		01.02.2024		20800					
Due Drawn Statement Of Smt. Sunita Devi Panchayat Secretary											
Name of panchayat Secretary/ Month of Annual Increment	Period	Due			Drawn			DA %	Difference	Days/ Month	Amount
		Basic	DA	Total	Basic	DA	Total				
Smt. Sunita Devi/ February	14.02.23 to 28.02.2023	20200	6868	27068	20800	7072	27872	34	804	15 days	431
	1.3.23 to 31.01.24	20200	6868	27068	20800	7072	27872	34	804	11M	8844
	1.2.24 to 31-03-24	20800	7072	27872	21400	7276	28676	34	804	2 M	1608
	1.4.24 to 30.09.24	20800	7904	28704	21400	8132	29532	38	828	6M	4968
	1-10-24 to 30-11-24	20800	8736	29536	21400	8988	30388	42	852	2M	1704
										Total	17555

22

Mamta Rawal
Assistant Controler (Audit)
H. P. State Audit Department
Shimla-9